31.03.18

राज्य द्वारा एडीपीओ। अभियुक्त विशाल अनु0/ प्रकरण अभि० की उप० हेत् नियत है।

प्रकरण में अभियुक्त की उप0 हेतु जारी गिरफतारी वारंट अदम तामील वापस प्राप्त नहीं।

अभियुक्त को न्यायालय द्वारा कई बार आहूत किए जाने पर उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। अभियुक्त की आदेशिका के तामीलकर्ता तामीलकुनिंदा कथन प्रस्तुति लेख किये जाने पर भी उप0 नहीं हुआ है।

प्रकरण 5 वर्ष से अधिक पुराना है जिसका निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। चूंकि अभियुक्त नहीं मिला है और उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना दर्शित नहीं है। कई बार आदेशिका भी जारी हो चुकी है। ऐसे में अभियुक्त की उपस्थिति हेतु अनंतकाल तक प्रकरण लंबित नहीं रखा जा सकता। अतः द०प्र०सं० की धारा २९९ के अधीन अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है।

अभियोजन से पूछे जाने पर अभियुक्त की अनुपरिथिति में कोई साक्ष्य कराए जाने की आवश्यकता न होना व्यक्त की है।

अभियुक्त के मुचलके व जमानत के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जाये।

अभियुक्त विशाल पुत्र ओछेलाल चौबे निवासी बेहट थाना बेहट जिला ग्वालियर म0प्र0 को स्थायी गिरफतारी वारंट लाल स्याही से मय जमानतदार व हाल निवास पते का उल्लेख कर जारी किया जाये। साथ ही गिरफतारी वारंट की प्रविष्टी वारंट रजिस्टर में कर पावती ली जाये।

प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से टीप अंकित की जाये कि अभियुक्त फरार है प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।

प्रकरण अभिलेखागार परिणाम दर्ज कर संचयन हेत् भेजा जाये।

(A.K.Gupta)

ALINATA PARETA Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.)